बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

सं0सं0–3/एम0–63/2013(पार्ट–2) सा0प्र0 3323/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवाएँ संविदा के आधार पर लेने के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 10000 दिनांक– 10.07.2015 की कंडिका–3(2)(ख)(v) में चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गयी है। जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने अधीन यौंत्रिक संवर्ग में उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के कार्यबल में कमी का उल्लेख करते हुए किये गये अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–10000 दिनांक– 10.07.2015 की कंडिका–3(2)(ख)(v) में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन केवल मुख्य अभियंता (यौंत्रिक) के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष अनुमान्य किया जाता है।

संकल्प की अन्य कंडिकाऐं यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 20/3/17

(एम0एस अंसारी)
सरकर के अवर सचिव

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013(पार्ट–2) सा0प्र0 3323/पटना–15, दिनांक–20-3-17

प्रतिलिपि :–वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/3/17

(एम0एस0 अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम0–63/2013(पार्ट–2) सा0प्र0 3323/पटना–15, दिनांक–20-3-17

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 20/3/17

(एम0एस0 अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।